## —: निर्णय :—

दिनांक : 16.05.2024

वादी द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1708/400 रकबा 0.3400 हैक्ट वाके ग्राम कटराथल की भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 1709/400 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 401 रकबा 0.0300 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 0.2300 हैक्ट भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा व लालाराम पुत्र झुंझाराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 0.1000 हैक्ट, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0300 हैक्ट एवं खसरा नम्बर 405 रकबा 2.2500 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 2.2900 हैक्ट तथा भूमि खसरा नम्बर 47 रकबा 4.1000 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/2 एवं शेष 1/2 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के भाई महावीर के हक व हिस्से में है। भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0300 हैक्ट, खसरा नम्बर 1423/104 रकबा 0.0200 हैक्ट भूमि वाके ग्राम दौलतपुरा में अवस्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 1/2 व शेष 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 के भाई महावीर के नाम दर्ज है।

वाद–पत्र में वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता हनुमान से जरिए विरासत प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 का पति है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 बनवारी अपने कबिले में ही बाल्यकाल में ही राजचन्द्र जी के गोद चला गया था तथा वह रामचन्द्र की सम्पदा पर बतौर वारिस काबिज है। प्रतिवादी संख्या 3 के गोद चले जाने के कारण उसका विरासतन कोई हक व हिस्सा कानूनन ना तो बनता है और ना ही है। इस प्रकार उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 6 के पैतृक , संयुक्त कब्जा काश्त की भूमियां है।

प्रतिवादी संख्या 1 को वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 एवं उसके सहयोगियों ने अपने मोहजाल में फंसा कर अपने वश में कर लिया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादी को विवादित भूमियों में उनके पैतृक हक एवं हिस्से से वंचित करना चाहता है जिसके कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विवादित भूमियों के काश्त में जबरन अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। प्रतिवादीगण विभाजन सहमति से करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए विवादित भूमियों का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाया जावें।

विवादित आराजीयात वादी की पैतृक आराजीयात होने के कारण बाई बर्थ ही उसका हक व हिस्सा बनता है एवं वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमियों के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की जा रही है। इस स्थिति से वादी ने प्रतिवादीगण की उलाहना दिया गया तो वे हिंसक हो गए और वादी को प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने धमकी दी की व जल्दी ही ताकत के बल पर वादी की खडी फसल को खुर्द बुर्द कर देंगें तथा प्रतिवादी संख्या 1 नाम राजस्व रिकॉर्ड होने के कारण नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमियों को प्रतिवादी संख्या 1 अकेले ही बिना विभाजन

प्रतिवादी संख्या 10 के नाम से खातेदारी में है, में से 10.4590 कच्ची बिघा भूमि यानि 1.1450 हैक्ट भूमि जिसको राजीनामा के सलंग्न मानचित्र प्रदर्श में अग्रेजी के अक्षर "डी" से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 10 महावीर के हक व हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार दावा की मद संख्या 1 की उपमद संख्या घ में वर्णित खसरा नम्बर 47 रकबा 4.10 हैक्ट वाके ग्राम कटराथल जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 की खातेदारी में है में से दक्षिणी तरफ की 19.15 कच्ची बिघा भूमि यानि 2.05 हैक्ट भूमि जिसको राजीनामा के सलंग्न मानचित्र प्रदर्श 2 में अग्रेजी के अक्षर "डी" से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 10 महावीर के हक व हिस्से में रहेगी। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश कर राजीनामें के अनुसार डिक्री जारी किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया। राजीनामा तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजीनामा पक्षकारों को पढकर सुनाया गया जिसको पक्षकारों द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। राजीनामा को तस्दीक किया गया। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि राजीनामा अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर